न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 91/2018

1. जगजीत पुत्र सुखीराम जाति जाटव निवासी दरियापुर तहसील व जिला धौलपुर .... वादी

बनाम

1. पप्पू । पुत्रगण सामन्ता जातिगण जाटव निवासीगण दूबरा तहसील
2. बिजेन्द्र । जिला धौलपुर
3. जनदेई पत्नी सामन्ता । जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम दूबरा तहसील व
4. सोनू पुत्र सामन्ता । जिला धौलपुर
5. आशा पुत्री सामन्ता ।
6. सीमा पुत्री सामन्ता । ....असल प्रतिवादीगण
7. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबंधक
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

---- तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 12.08.2024

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 23.10.2018 को एक रा... वाद बाबत् बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो दिनांक 26.11.2019 को बाद तहकीकात दावा प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 416 दिनांक 29.09.2020 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये थे। उक्त विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत ना होने के कारण पुनः तहसीलदार धौलपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार धौलपुर द्वारा पत्रांक 236 दिनांक 16.05.2024 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार धौलपुर के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर वकील वादी की बहस सुनी गई, वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, आज दिनांक को दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 1 पप्पू भी स्वयं उपस्थित आया। वकील वादी ... प्रतिवादी संख्या 1 ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने ... निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 103 रकबा 0.

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज.)

7462, 122 रकवा 0.4300, 123 रकवा 0.4173, 137 रकवा 0.2403, 96 ... 0.5818 कुल किता 5 कुल रकवा 2.4155 बाकै ग्राम दूबरा तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1. जंगजीत पुत्र सूखीराम हि0 पूर्ण जाति जाटव सा. दरियापुर खातेदार	103 / 1 122 / 1 123 / 1 137 / 1 96 / 1	0.1244 है0 0.0716 है0 0.0695 है0 0.0400 है0 0.0969 है0
2 आशा पुत्री सामंता हि0 1 / 10, बिजेन्द्र पुत्र सामंता हि0 3 / 10, बिला रहन, जनदेई पत्नी सामंता हिस्सा 1 / 10, राहिन एसबीआई एडीबी धौलपुर सीमा पुत्री सामंता हिस्सा 1 / 10 राहिन एसबीआई एडीबी धौलपुर, सोनू पुत्र सामंता हिस्सा 1 / 10 राहिन एसबीआई एडीबी धौलपुर जातिगण जाटव सा0देह खातेदार	103 / 2 122 / 2 123 / 2 137 / 2	0.6217 है0 0.3583 है0 0.3477 है0 0.2003 है0
3. जनदेई पत्नी सामन्ता, आशा, सीमा पुत्रियान, सोनू पुत्र सामन्ता हि0ब0 692 / 2424 राहिन बीआरकेजीबी बैंक शाखा धौलपुर, पप्पू, बिजेन्द्र पुत्रान सामंता हि0 ब0 658 / 1212 राहिन हिस्सा 346 / 2424 बैंक बीआरकेजी शाखा धौलपुर सा. देह विशनदेवी पत्नी बाबूलाल हि0 52 / 303 जाति जाटव सा0 दरियापुर खातेदार	96 / 2	0.4848 है0

कुल किता 10 कुल रकवा 2.4155 हैक्टेयर बाकै ग्राम दूबरा तहसील व जिला धौलपुर कुल लगान 28.90 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बैंकों के राहिन के इन्द्राज बदस्तूर रखे जावे। विवादित आराजी के कुल लगान 28 रूपये 90 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 57 रूपये 30 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर प्रथम
धौलपुर